प्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 635/2014

निर्णय सुरक्षित : 11/05/2023 को
निर्णय पारित : 12/06/2023 को

दुर्गन सिंह गोंड पिता कवाल सिंह गोंड, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी-गांव छिंदिया, सड़क पारा, पुलिस थाना-कोरबा, सिविल एवं राजस्व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

----अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा स्टेशन हाउस अधिकारी, खड़गंवा, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

----प्रतिवादी

अपीलार्थी के लिए	:	श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुदीप वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,
माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल

सी. ए. वी. निर्णय

न्यायमूर्ति, संजय के. अग्रवाल

1. अपीलार्थी द्वारा इस दांडिक अपील को दं०प्र०सं० की धारा 374 (2) के अंतर्गत सत्र परीक्षण संख्या 62/2012 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/05/2014 के विरुद्ध पेश किया गया है, जिसके द्वारा उसे भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा ₹ 2000/- के अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है। ₹ 2000/- के अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अभियोजन पक्ष का प्रकरण:-

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 02/06/2011 को, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता घुरौ राम (अभि०सा०-1) की बेटी सविता को कीटनाशक एंडोसल्फेन पिलाया और उसकी मृत्यु कारित की तथा उपरोक्त अपराध कारित किया।

3. अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि मृतका सविता की विवाह किरण कुमार (अभि०सा०-11) के साथ हआ था और विवाह के बाद, वह उसके साथ रह रही थी परन्तु कुछ दिनों के बाद चूँकि वह अस्वस्थ हो गई इसलिए किरण कुमार (अभि०सा०-11) उसे 12/03/2012 को उपचार के लिए लखनपुर ले गया, हालांकि, मृतका सविता, बस स्टैंड में खो गई और नहीं मिली। इसके बाद, उन्हें पता चला कि मृतका सविता, अपीलार्थी के साथ भाग गई है और उसने उसे जहर देकर उसकी मृत्यु कारित कर दी है। उक्त जानकारी घुरौ राम (अभि०सा०-1) द्वारा पुलिस स्टेशन खडगवां में 14/03/2012 को दी गई थी, जिसके आधार पर शवालय सूचना प्रदर्श पी/1 के माध्यम से दर्ज की गई थी तथा इस प्रकार अन्वेषण गतिमान हुआ। गवाहों को प्रदर्श पी/5 के द्वारा समन जारी किए गए थे। प्रदर्श पी/5ए द्वारा मरणान्वेषण संचालित किया गया था। इसके बाद, सविता के शव का पोस्टमॉर्टम हुआ जो डॉ. आर. पी. सिंह (अभि०सा०-10) द्वारा किया गया और पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन(प्रदर्श पी/8) के अनुसार, मृत्यु, कुछ विषैला पदार्थ खाने से हुए कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट(श्वाश एवं ह्रदय गति रुकने से) के कारण हुई थी। प्रदर्श पी/2 के माध्यम से मृतका का विसरा बरामद किया गया था। प्रदर्श पी/2 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई तथा अपीलार्थी को अभिरक्षा में ले लिया गया एवं मौके से एंडोसल्फन की एक शीशी और कुछ अन्य वस्तुओं को प्रदर्श पी/6 के माध्यम से जब्त कर लिया गया। कथित जब्त वस्तुओं को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और एफएसएल प्रतिवेदन दिनांक 28/04/2012 को अभिलेख में लाया गया जिसमें मृतका के विसरा के साथ-साथ मौके से जब्त शीशी में एंडोक्लोरो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कीटनाशक एंडोसल्फन पाया गया था। उचित अन्वेषण उपरांत, अपीलार्थी पर भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था जो विधि अनुसार, विचारण के लिए, सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। अपीलार्थी अपने अपराध से मुकर गया तथा उसने अपना बचाव किया।

4. अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का परीक्षण किया तथा अभिलेख में 14 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी का बयान लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने अपराध से इनकार किया था, हालांकि, उसने अपने बचाव में किसी की भी परीक्षा नहीं की और कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्याङ्कन पश्चात्, मृतका सविता की मृत्यु को प्रकृति में मानववध पाया तथा अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध का लेखक होने का निष्कर्ष निकालते हुए उसे भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराने हेतु अग्रसर हुई और उपरोक्त अनुसार दण्डादिष्ट किया।

पक्षकारों का तर्क:-

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र दुबे ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय, अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, विशेष रूप से, एफ. एस. एल. प्रतिवेदन, हालांकि, इसे अभिलेख में रखा गया है परन्तु यह न तो विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्शाकिंत किया गया है और न ही इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी के सम्मुख लाया गया है, जिसके कारण उसे गंभीर प्रतिकूलता का सामना

करना पड़ा है और यह, इस न्यायालय द्वारा **नवीशचंद्र @ नवेशचंद्र यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य{ दाण्डिक अपील क्र. 401/2011, 09/08/2019 को निर्णीत}** तथा **पदेश्वर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य{दाण्डिक अपील क्र. 1104/2014, 16/11/2022 को निर्णीत}** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों को देखते हुए अवैधता के समान है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप वर्मा प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है और इसलिए, विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से न्यायसंगत है कि यह अपीलार्थी ही है जो प्रश्नगत अपराध का लेखक है और उसे भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध ठहराया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन का प्रदर्शांकित न करने से या इसे दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी के समक्ष न रखने से, अपीलार्थी को प्रकरण में कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन के अनुसार मृतका के विसरा में एंडोक्लोरो कीटनाशक एंडोसल्फन स्पष्ट रूप से पाया गया है, इसलिए वर्तमान अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, ऊपर दिए गए उनके तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का अवलोकन किया है।

अवधार्य प्रश्नः -

9. इन दोनों अपीलों के निर्णय में विवेचना हेतु उत्पन्न होने वाले दो अभिन्न प्रश्न हैं-

(i) क्या मृतका सविता की मृत्यु उसे दिए गए जहर के कारण हुई थी?

(ii) क्या यह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका को जहर दिया और इस तरह उसकी हत्या कर दी?

प्रश्न सं. (i) का उत्तरः -

10. सविता के शव का पंचों की सिफारिश पर पोस्टमॉर्टम किया गया था, जो डॉ. आर. पी. सिंह (अभि०सा०-10) द्वारा किया गया था, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/8) को साबित किया है। मृतका की जाँच करने के उपरांत, उन्होंने पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन में दर्ज किया है कि पूरे शरीर पर मांसपेशीय अकड़न मौजूद थी, आंखें अर्ध-खुली थीं, मुंह खुला था और झागदार तरल पदार्थ मौजूद था, होंठ नीले थे, मुट्ठी खुली थी और नाखून नीले थे। सम्पूर्ण परीक्षण उपरांत, डॉ. आर. पी. सिंह (अभि०सा०-10) ने मत दिया कि मृत्यु, कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट से हुई थी जो किसी जहरीला पदार्थ लेने के कारण आई थी तथा तत्पश्चात, उन्होंने मृतका का विसरा लिया एवं उसे एफएसएल हेतु भेजे जाने के लिए सीलबंद प्लास्टिक कंटेनर में पैक करने के बाद एफएसएल के लिए भेजने हेतु सौंप दिया और एफएसएल प्रतिवेदन दिनांक 28/04/2012 अनुसार, मृतक के विसरा, जिसे सामग्री ए और बी के रूप में चिह्नित किया गया था, में ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक एंडोसल्फन था। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन दिनांक 28/04/2012 के आधार पर, यह उचित संदेह से परे साबित हो गया है कि मृतका सविता की मृत्यु उसे दिए गए जहर, जो कि ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक एंडोसल्फान था, के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रश्न सं. (ii) का उत्तरः-

11. इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने के लिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रयोज्य होंगे।

12. **अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य{एआईआर 1960 एससी 500}** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने जहर देकर हत्या किए जाने के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले मापदंडों को निर्धारित किया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को, जहर देने के मामले में, यह स्थापित करना चाहिए कि मृत्यु जहर देने से हुई थी; आरोपी के पास जहर था; और आरोपी को मृतक को जहर देने का अवसर मिला था। उपरोक्त प्रकरण में, माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवधारित किया गया हैः -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "अभियोजन पक्ष को जहर देने के मामले में यह स्थापित करना चाहिए कि (ए) मौत जहर देने से हुई थी; (बी) कि आरोपी के पास जहर था; और (सी) कि आरोपी के पास मृतक को जहर देने का अवसर था। यद्यपि इन तीन प्रतिपादनों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर भी, जहर देकर हत्या किये जाने को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। किसी विशेष मामले में, यह अनुमान कि मृत्यु जहर देने के परिणामस्वरूप हुई है, यदि साक्ष्य से यह निर्गमित नहीं हो पाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष तथ्य को संतोषजनक रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित करने में विफल रहा है, तो संदेह का लाभ आरोपी व्यक्ति को देना होगा। लेकिन यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, तीनों प्रतिपादनों के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, इतने निर्णायक है कि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के यह मान सकती है कि मृत्यु जहर देने परिणामस्वरूप हुई थी (हालांकि इसका पता नहीं चला है) और जहर, निश्चित ही, आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया होगा, तो दोषसिद्धि को उस पर आधारित किया जा सकता है।"

13. इसके बाद, **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य{(1984) 4 एससीसी 116}** के प्रकरण में, जो साइनाइड विषाक्तता का मामला था, जिसके लिए मृतका के पति पर हत्या का मुकदमा चलाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि न्यायालय

को सावधानीपूर्वक साक्ष्यों की जाँच करनी चाहिए और उन चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जो अकेले ही दोषसिद्धि को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं। इस प्रकार कण्डिका 165 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः -

> "165. जहाँ तक इस प्रकरण का संबंध है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए और उन चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का विनिश्चय करना चाहिए जो अकेले ही दोषसिद्धि को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं:
>
> (1) अभियुक्त के पास मृतक को जहर देने का स्पष्ट उद्देश्य है,
>
> (2) कि मृतक की मृत्यु दिए गए जहर से हुई थी,
>
> (3) कि जहर अभियुक्त के के कब्जे में था,
>
> (4) कि उसके पास मृतक को जहर देने का अवसर था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **अनंत चिंतामन लागू** (पूर्वोक्त) और **शरद बिरदीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) में द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत का बाद में **भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य{(1988) 3 एससीसी 513}** के प्रकरण में पालन किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के पास जहर होने को साबित करने में विफल रहा हो, पर यह घातक नहीं होगा, अगर अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। इस प्रकार कण्डिका 26 और 27 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया: -

> "26. जहर से हत्या के मामलों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नियम से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से, बहुत सारे ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनसे न्यायालय को यह अनुमेय निष्कर्ष निकालने में न्यायसंगत ठहराया जा सकता है कि आरोपी के पास प्रश्नगत जहर था। अभियुक्त के विरुद्ध बहुत सारे तथ्य और परिस्थितियाँ साबित हो सकती हैं जो अभियुक्त के पास जहर होने के तथ्य के समर्थन में हो। प्रत्येक मामले में अभियुक्त के पास हमेशा जहर होने के प्रमाण पर जोर देना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक है। इससे यह अर्थ निर्गमित होगा कि जहर देकर हत्या करने के अपराध में एक बाहरी

तत्व अंर्तग्रस्त किया गया है। इसलिए, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते है। जहर देकर हत्या के प्रकरण में आरोपी को अन्य प्रकार की हत्याओं की तुलना में दण्ड से छूट मिलने की बेहतर संभावना नहीं हो सकती है। जहर देकर की गई हत्या, किसी भी अन्य हत्या की तरह ही की जाती है। ऐसे मामलों में जहां निर्भरता पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर हैतथा प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न्यायालय किसी भी मामले में, परिस्थितियों से किसी भी तरह से वैध रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है।

27. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य{एआईआर 1960 एससी 500} के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थित है, जिसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने धरमबीर सिंह मामले में निर्धारित तीन प्रतिपादनों पर गंभीरता से विचार किया है। विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जहर देकर हत्या किये जाने के प्रत्येक मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले साक्ष्य के अपरिवर्तनीय मानदंड के रूप में नहीं माना। माननीय विद्वान न्यायाधीश ने कहा (पृ. 519-520 पर):

"अब अपीलार्थी की ओर से पेश की गई दलीलों पर विचार करना आवश्यक है।पहला तर्क यह है कि जहर देकर हत्या किये जाने के सभी मामलों में साबित किये जाने वाले आवश्यक तत्व, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किए गए थे। इस संबंध में अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय के माउंट गजरानी बनाम सम्राट अल्लाहाबाद{ए. आई. आर. 1933 एएलएल 394} तथा इस न्यायालय के चंद्रकांत एन न्यालचंद सेठ बनाम द बॉम्बे राज्य{दांडिक अपील संख्या 120/1957, 19 फरवरी, 1958 को निर्णीत}, धरमबीर सिंह बनाम तेह पंजाब राज्य{दांडिक अपील संख्या 98/1958, 4.11.1958 को निर्णीत} के प्रकरणों में दो अप्रतिवेदित निर्णय का संदर्भ दिया गया है। इन मामलों में, न्यायालय ने तीन प्रतिपादनों का उल्लेख किया है जिन्हें अभियोजन पक्ष को जहर देने के मामले में स्थापित करना चाहिए; (ए) कि मृत्यु जहर से हुई थी; (बी) कि आरोपी के पास जहर था, और (सी) कि आरोपी को मृतक को जहर देने का अवसर मिला था। धरमबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में इन तीन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। वहाँ, मृतक की मृत्यु, पोटेशियम साइनाइड जहर देने के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसने वे साक्ष्य विश्वशनीय नहीं रहे जो यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि आरोपी ने पोटेशियम साइनाइड प्राप्त किया था, परन्तु फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे। हालाँकि, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्ण के रूप में स्वीकार नहीं किया। यह देखा जाना चाहिए कि तीनों प्रतिपादनों को जहर देकर हत्या किये जाने के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साक्ष्य के अपरिवर्तनीय मानदंड के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से यदि पीड़ित को जहर देने के बाद, आरोपी ने शरीर के सभी निशान नष्ट कर दिए थे, तो पहला प्रतिपादन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा साबित नहीं किया जा सकता था। इसी तरह, यदि आरोपी ने किसी पीड़ित को खाने के लिए कुछ दिया था और पीड़ित की उस भोजन के सेवन से, जहर दिए जाने के लक्षणों के साथ, तुरंत मृत्यु हो गई थी तथा जहर, वास्तव में, विसरा में पाया गया था, तो यह साबित करने की आवश्यकता कि आरोपी के पास जहर था, यह उन परिस्थितियों के अनुसरण में होगी कि आरोपी ने पीड़ित को खाने के लिए कुछ दिया था एवं इसे अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

विद्वान न्यायाधीश ने आगे निर्धारित किया कि :

"इस न्यायालय के जिन प्रकरणों को अधिनिर्णीत किया गया था, वे उनके स्वयं के तथ्यों पर संसाधित किए गए थे तथा यद्यपि इन तीनों प्रतिपादनों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए परन्तु जहर देकर हत्या किये जाने को स्थापित करने के लिए, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगी। किसी विशेष प्रकरण में, साक्ष्य से यदि यह निष्कर्षित नहीं होता है कि मृत्यु, जहर देने के परिणामस्वरुप हुई है क्योंकि अभियोजन पक्ष, तथ्य को संतोषजनक रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा, साबित करने में विफल रहा है तो संदेह का लाभ आरोपी व्यक्ति को देना होगा। लेकिन यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, तीनों प्रतिपादनों के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, इतना निर्णायक है कि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के यह मान सकता है कि मृत्यु, जहर देने के परिणामस्वरुप हुई थी (हालांकि इसका पता नहीं चला है) तथा जहर अवश्य आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया होगा, तो इस पर दोषसिद्धि को आधारित किया जा सकता है। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान प्रकरण, जहर देकर मृत्यु का प्रकरण है जो प्रत्यक्ष और साथ ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों पर आधारित है। प्रकरण के उस दृष्टिकोण में, वे पांच सुनहरे सिद्धांत जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक प्रकरण के प्रमाण के पंचशीलों का गठन करते हैं और जिन्हें शरद बिरधीचंद सारदा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कण्डिका 153 में निर्धारित किया गया है, वे इस प्रकार हैंः-

"153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यह कहे जाने से पूर्व कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पूरी तरह से स्थापित हो गया है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ या विचारणीय है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि संबंधित परिस्थितियां आवश्यक रूप से स्थापित होनी चाहिए न कि संभावित रूप से । 'आवश्यक रूप से साबित' तथा 'संभावित रूप से साबित' के मध्य केवल एक व्याकरणिक ही नहीं अपितु एक विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था, जिसमें निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पूर्व उसका दोषी होना आवश्यक है और न कि संभावित है तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के मध्य की मानसिक दूरी लंबी है एवं यह निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को पृथक करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह प्रमाणित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **अनंत चिंतामन लागू** (पूर्वोक्त) और **शरद बिरदीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में और विशेष रूप से **भूपिंदर सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि घटना के समय, अपीलार्थी तथा मृतका के मध्य कोई संबंध नहीं था। मृतका सविता का अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं था और वह किरण कुमार

(अभि०सा०-11) की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी तथा अपने विवाह के पश्चात्, वह अपने पति के साथ गांव पुहपुत्र, जिला सरगुजा में रह रही थी और चूंकि वह अस्वस्थ थी, इसलिए उसका पति किरण कुमार (अभि०सा०-11), 12/03/2012 को उसे उपचार हेतु लखनपुर ले गया, हालाँकि, जब वे वहाँ पहुँचे, तो मृतका सविता बस स्टेशन से गायब हो गई एवं तत्पश्चात वह, अपने पिता के घर, अपीलार्थी के साथ रात्रि 12 बजे प्रकट हुई एवं उस समय, उसकी बहन संगीता सागर (अभि०सा०-2) और उसकी दादी श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) घर पर मौजूद थे।

17. मृतका सविता की दादी श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) के बयान के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना की रात को लगभग 12 बजे, मृतका सविता, अपीलार्थी के साथ गांव खुतरापारा में उनके घर आई थी। जब उसने दरवाजा खोला, तो वे अंदर आए और इसके तुरंत बाद, अपीलार्थी ने दो गिलासों में कुछ दवा डाली और एक सविता को दी और दूसरी अपने लिए रख ली, हालांकि, जब सविता ने अपने गिलास से दवा पी ली, तो अपीलार्थी ने दूसरा गिलास बाहर फेंक दिया और उसके बाद, सविता रोने लगी और चिल्लाने लगी और जब उसकी दादी श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) और उसकी बहन संगीता सागर (अभि०सा०-2) ने मदद के लिए पुकारा, तो अपीलार्थी वहाँ से फरार हो गया। उसका कुछ सीमा तक प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपीलार्थी को दो गिलासों में कुछ जहर डालते देखा है जिसमें से एक गिलास की सामग्री का मृतका द्वारा सेवन कर लिया गया था जबकि अपीलार्थी ने दूसरा गिलास बाहर फेंक दिया था। प्रतिपरीक्षण में, बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि मृतका ने खुद ही जहर का सेवन किया था, यद्यपि , श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) ने इससे इनकार किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने मृतका को जहर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया था। इस प्रकार, उससे, यह दिखाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है कि उसने विरोधाभासी बयान दिया है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

18. इसी तरह मृतक सविता की बहन संगीता सागर (अभि०सा०-2) भी घटना के समय घर पर उपस्थित थी। उसने अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब अपीलार्थी और मृतका सविता उनके घर आये थे तो वह सो रही थी और जब वह जागी तथा बाहर आई तो उसने अपीलार्थी को एक गिलास बाहर फेंकते हुए देखा और उसके तुरंत बाद, उसकी बहन सविता ने उल्टी करना शुरू कर दिया और हालांकि शुरू में उसने कहा है कि उसने अपीलार्थी को मृतका को जहरीला पदार्थ देते हुए नहीं देखा है, लेकिन बाद में उसने कहा है कि यह अपीलार्थी ही है जिसने मृतका को जहर दिया था, जिसके कारण वह छटपटाने और रोने लगी। इसके बाद, संगीता (अभि०सा०-2) ने अपीलार्थी से मोबाइल छीन लिया और अपने पिता घुरौ राम (अभि०सा०-1) को सूचित किया, जो घर पहुंचे परन्तु तब तक अपीलार्थी मौके से फरार हो गया था। उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि जहर की शीशी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एंडोसल्फन था और यह घर पर पड़ा हुआ था। इसके अनुसरण में, उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उसे प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब अपीलार्थी और मृतका उनके घर आए थे, तो उसकी दादी श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) ने उसकी बहन सविता से पूछा कि वह देर रात कैसे आई है और उसका पति कहाँ है, तब अपीलार्थी ने उसे बताया कि सविता उसे बस स्टैंड पर मिली थी और वह उसे छोड़ने आया है। इसके बाद, अपीलार्थी ने अपनी जेब से किसी दवा की शीशी निकाली और दो गिलास लिए और दोनों गिलास में दवा डाल दी और एक गिलास सविता को दिया और दूसरा अपने लिए रख लिया। मृतका सविता ने अपने गिलास से दवा का सेवन कर लिया, हालांकि, अपीलार्थी ने दूसरा गिलास बाहर फेंक दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कण्डिका-11 में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने एंडोसल्फन वाली शीशी देखी है जिसे अपीलार्थी ने गिलास में डाला था और जिसका सेवन उसकी बहन सविता ने किया था। इस प्रकार, उसने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है।

19. मृतका के पिता घुरौ राम (अभि०सा०-1) ने भी न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि उसकी बेटी सविता अस्वस्थ थी, इसलिए उसे उसके दामाद किरण कुमार (अभि०सा०-11) द्वारा इलाज के लिए लखनपुर लाया गया था, लेकिन वह बस स्टैंड से लापता हो गई और उसके बाद देर रात, वह अपीलार्थी के साथ उसके घर आई और चूंकि वह उसके घर पर नहीं था, इसलिए उसकी बेटी संगीता (अभि०सा०-2) ने उसे सूचित किया कि अपीलार्थी ने उसकी बड़ी बहन सविता को एंडोसल्फन दिया था और उसे खाने के बाद, उसे उल्टी होने लगी थी और वह बेहोश हो गई थी। सूचना मिलने के बाद, वह तुरंत अपने घर गया और उसकी बेटी सविता को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया एवं उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंगन में एंडोसल्फान की शीशी पड़ी थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है और उससे, यह मानने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि वह मिथ्या वचन कर रहा है या उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकार, उपरोक्त साक्षियों के बयानों से, यह काफी स्पष्ट है कि हालाँकि अपीलार्थी का मृतका के साथ कोई मौजूदा संबंध नहीं था, फिर भी वह उसे उसके पति किरण कुमार (अभि०सा०-11) के विधिक संरक्षकता से लखनपुर के बस स्टैंड से ले गया और उसके बाद, लगभग रात्रि 12 बजे, वह उसे उसके माता-पिता के घर ले गया तथा उसे जहर दे दिया, जिसके कारण, उल्टी होने/छटपटाने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गई एवं इस तथ्य का स्पष्ट रूप से संगीता (अभि०सा०-2) के साथ-साथ श्रीमती सोनकुंवर (अभि०सा०-9) ने भी समर्थन किया है।

21. **भूपिंदर सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त ने पीड़ित को कुछ खाने के लिए दिया था तथा पीड़ित की उस खाद्य के सेवन से, जहर दिए जाने के लक्षणों के साथ, तुरंत मृत्यु हो गई थी तथा वास्तव में, वह जहर विसरा में पाया गया था, तो यह साबित करने की आवश्यकता कि अभियुक्त के पास जहर था, उन परिस्थितियों के अनुक्रम में होगी कि अभियुक्त ने पीड़ित को कुछ खाने के लिए दिया था तथा इसे अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

22. हालाँकिए यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के पास जहर था, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित की गई उपरोक्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि यह अपीलार्थी ही है जिसने मृतका को जहर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जहाँ तक हेतुक का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध, हेतुक को आंशिक रूप से स्थापित पाया है, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी का मृतका से कोई संबंध नहीं था तथा यह उसका काम नहीं था की वह मृतका को उसके पति की वैध अभिरक्षा से दूर ले जाये एवं उसके बाद, वह उसे उसके माता-पिता के घर ले गया तथा उसे जहर दे दिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार, यह स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी का अपराध कारित करने का हेतुक था। इसके अलावा, संगीता (अभि०सा०-2) के बयान से यह भी अभिलेख में आया है कि अपीलार्थी उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन चूंकि वह पहले से ही विवाहशुदा थी, इसलिए वह उससे विवाह नहीं कर सका और उसके कारण, अपीलार्थी ने उसे जहर दे दिया और उसकी मृत्यु कारित की क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि सविता की मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी तथा उसकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

24. अब, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई जोरदार तर्क पर विचार करते हैं कि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन की प्रति दिनांक 28/04/2012, हालांकि अभिलेख पर इसे लाया गया है, लेकिन इसे न तो प्रदर्शांकित किया गया है और न ही दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी के समक्ष रखा गया है, इसलिए, अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

25. यह सत्य है कि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन दिनांक 28/04/2012 की प्रतिलिपि को विचारण न्यायालय के समक्ष 18/10/2013 को अभिलेख पर लाया गया है जिसके अनुसार ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक एंडोल्सल्फान मृतका के विसरा (सामग्री ए और बी) के साथ-साथ शीशी और मौके से जब्त किए गए दो गिलास (सामग्री डी और ई 1 और ई 2) पर पाया गया है। यह कहना सही है कि उक्त एफ. एस. एल. प्रतिवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्शांकित नहीं किया गया है और न ही इसे दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी के सम्मुख रखा गया है। एफ. एस. एल. प्रतिवेदन दिनांक 28/04/2012, जो राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन है, दं०प्र०सं० की धारा 293 (1) के अर्थ के अंतर्गत एक साक्ष्य है एवं इसका उपयोग दं०प्र०सं० की धारा 293 (1) के आधार पर परीक्षण में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, जब तक कि दं०प्र०सं० की धारा 293 (1) के आधार पर उक्त वैज्ञानिक विशेषज्ञ का का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त प्रतिवेदन की प्रति, आरोपी को प्रदान की जाती है तथा इसे दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी के सम्मुख रखा जाता है, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. यह सुस्थापित विधि है कि आरोपी के विरुद्ध किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके बयान में आरोपी के सामने रखा जाना चाहिए, अन्यथा, साक्ष्य के उस अंश को विवेचना से अपवर्जित रखा जाना चाहिए क्योंकि आरोपी को इसे समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विधि के इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1953 में **हटे सिंह भगत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य{एआईआर 1953 एससी 468}** के प्रकरण के निर्णय सहित कई निर्णयों में लगातार अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसके संबंध में अभियुक्त का, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अंतर्गत, परीक्षण नहीं किया गया था, उसका उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. **हरिजन मेघा जेशा बनाम गुजरात राज्य{एआईआर 1979 एससी 1566}** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अंतर्गत अभियुक्त के बयान में सीरोलॉजिस्ट की प्रतिवेदन को उसके समक्ष नहीं रखा गया है, तो उसका उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः -

> "3. .....सबसे पहले, उन्होंने कहा कि अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी लिए जाने पर, एक रक्तरंजित छड़ी प्राप्त हुई और सीरोलॉजिस्ट की प्रतिवेदन के अनुसार, इसमें मानव रक्त था। हालाँकि, दुर्भाग्य से, चूंकि इस परिस्थिति को धारा 342 के अंतर्गत अभियुक्त के समक्ष उसके बयान हेतु नहीं रखा गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष को, अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए उसके बयान पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। "

28. **हरिजन मेघा जेशा** (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांत का **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य{एआईआर 1984 एससी 1622}** के प्रकरण में अनुमोदन के साथ पालन किया गया है।

29. बहुत हाल ही में **राज कुमार @सुमन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) {दांडिक अपील संख्या 1471/2023, 11/05/2023 को निर्णीत}** के प्रकरण में, निर्णय की कण्डिका-16 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून का निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया हैः- -

> "16. इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः
>
> (i) यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित होने वाली प्रत्येक तात्विक परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और पृथक रूप से प्रस्तुत करे। तात्विक परिस्थिति से तात्पर्य है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसकी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है;
>
> (ii) धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य, अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है;
>
> (iii) न्यायालय को अभियुक्त विशेष के प्रकरण पर विचार करते समय आम तौर पर उन तात्विक परिस्थितियों से बचना चाहिए जो अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी गई हैं;
>
> (iv) अभियुक्त के सामने तात्विक परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। यह विचारण को दूषित कर देगा यदि यह दिखाया जाता है कि इससे आरोपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
>
> (v) यदि अभियुक्त के सामने तात्विक परिस्थिति रखने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है, तो यह एक सुसाध्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, घटना की तारीख से बीते हुए समय पर विचार करना ऐसे विचारों में से एक होगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपीलार्थी न्यायालय भी अभियुक्त से उस तात्विक परिस्थिति पर प्रश्न कर सकती है जो उसके सामने नहीं रखी गई है; और

(vii) किसी प्रदत्त प्रकरण में, प्रकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत संबंधित आरोपी का पूरक बयान दर्ज करने के चरण से, विचारण न्यायालय में भेजा जा सकता है।

(viii) इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तब केवल तर्क देने में किया गया विलम्ब, उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। "

30. अंततः उपरोक्त विधिक विवेचना के आलोक में, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की ओर लौटते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि यद्यपि एफ. एस. एल. प्रतिवेदन दिनांकित 28/04/2012 को अभिलेख पर लाया गया है, परन्तु इसे न तो प्रदर्शांकित किया गया है और न ही इसे दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी के सामने रखा गया है, लेकिन अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निष्कर्ष को दर्ज करते समय एफ. एस. एल. प्रतिवेदन को एक आपत्तिजनक परिस्थिति के रूप में नहीं माना है और इसने यह निष्कर्ष निकालने में, प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ-साथ अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया है कि मृतका सविता की मृत्यु उसे दिए गए जहर के कारण हुई थी, इस प्रकार, उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी का अपराध करने का मकसद था और उसने मृतका को जहर देकर उसकी मृत्यु, जो प्रकृति में मानववध थी, कारित की थी। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उसे उचित रूप से दोषसिद्ध ठहराया है और उपरोक्तानुसार दण्डादिष्ट किया है। हम इस अपील में कोई गुण-दोष नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. तद्नुसार, यह दांडिक अपील निरस्त किये जाने योग्य है एवं एतद्वारा निरस्त की जाती है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील संख्या 635/2014

अपीलार्थी-दुर्गन सिंह गोंड

बनाम

प्रत्यर्थी-छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Headnote

In case of death by poisoning – rule of circumstantial evidence is applicable.

विषाक्तता से मृत्यु के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नियम लागू होता है।

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**